

अटल बिहारी बाजपेयी शासकीय महाविद्यालय पाण्डातराई,
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

wb-govtnaveencollegepandatral.in

pandatarairgovtcollege3@gmail.com. Mo- 8085764064, 8827107383.

(College Code - 2006)

क्रं. 437 / 274 / 2020-21
प्रति,

पाण्डातराई,
22/02/2021

कोषालय अधिकारी
जिला कबीरधाम छ.ग.

विषय:- चालान का सत्यापन करने बाबत।

संदर्भ:- कार्यालय आयुक्त का पत्र क्रमांक 206/407/आउशि/आडिट/2020 अटल नगर
रायपुर दिनांक 21.1.2020


—00—

विषयांतर्गत इस महाविद्यालय में विभागीय अंकेक्षण 06/2011 से 09/2017 तक किया गया जिसमें कंडिका क्रमांक 04 में चालानों का सत्यापन कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः 06/2011 से 09/2017 एवं 10/2017 से 2/2021 तक संलग्न कर सत्यापन करने हेतु चालान की छायाप्रति भेजी जा रही है। कृपया सत्यापन करने का कष्ट करें।

संलग्न- 1. जमा दिनांक की सूची एवं चालान की छायाप्रति

2. आडिट की छायाप्रति



प्राचार्य
अटल बिहारी बाजपेयी शासकीय महाविद्यालय
पाण्डातराई, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्र.236/

/आउशि/आडिट/2021

नवा रायपुर, दिनांक 27/2/2021

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय पाण्डातराई
जिला कबीरधाम (छ.ग.)

विषय:- विभागीय अंकेक्षण अवधि 06/2011 से 09/2017 तक का प्रेषण।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 397/स्था./2020-21, दिनांक 08.02.2021

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय का विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 06/2011 से 09/2017 तक में विभागीय टीप अंकित कर प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक 07, 09 एवं 15 यथावत हैं। उक्त कंडिका का निराकरण कराया जाकर पालन प्रतिवेदन 07 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शेष कंडिका क्रमांक 02, 08, 15 एवं 16 निराकृत।


(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. एच.एस.कर)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)



A.G.O 3
27/2/2021

प्राचार्य

अटल-बिहारी वाजपेयी

शासकीय महाविद्यालय

पाण्डातराई, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

/आउशि/आडिट/2021

नवा रायपुर, दिनांक 27/2/2021

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़ ।


कय पूर्व सक्षम स्वीकृति बाबत ।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विभागीय अंकेक्षण के दौरान प्रायः पाया जाता है कि सामाग्रियों की कय बिना सक्षम स्वीकृति के किये जाते हैं । आक्षेप लिये जाने पर कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संचालनालय से पत्र व्यवहार किया जाता है जो कि उचित नहीं हैं । साथ ही कंडिका के जवाब में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु पत्र लिखा जाना उल्लेखित भी किया जाता है ।

अतः आवश्यक सामाग्रियों का कय प्रदत्त वित्तीय अधिकार/भण्डार कय नियमों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करे तथा यदि वरिष्ठ कार्यालय से प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता हो तो प्रथमतः प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जाये ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. एच.एस.कर)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

AR-03
प्राचार्य
अटल विहार अजयधी
शासकीय महाविद्यालय
पाण्डातराई, जिला-कदौरधाम(छ.ग.)